न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 330 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी		रामाराम व अन्य

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 रा. भू. राज.एक्ट 1956</u>

उपस्थिति–

1. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय सिणधरी) प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 14,15 (अपीलांट)
3. शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय:–

दिनांक–13.08.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्व ग्राम **सड़ा धनजी** पटवार मण्डल **सड़ा** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रस्तुत प्रकरण में बाद पक्षकारान की सुनवाई के भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा [illegible] पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6 / 200[illegible] / [illegible] / 04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6 / 2021 / [illegible] / 01 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 1[illegible]32

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित भूमि को निर्णय दिनांक 11.01.2022 के जरिये गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करते हुए तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू रपाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रखते हुए नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

विप्रार्थी सं. 14,15 (अपीलांट) द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दायर अपील सं 137/2022 भारूराम बनाम लिखमाराम व अन्य में बाद सुनवाई अपने पारित निर्णय दिनांक 26.12.2022 के जरिये निर्देशित किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को प्रतिप्रेषित कर कि अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलाटस् के उल्लेखित भूमि के संबंध में अपीलांट को अपना पक्ष रखे जाने तथा मौका जांच कर मौका फर्द पर उभयपक्ष की सुनवाई का पश्चात पर प्रकरण का निस्तारण करे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की गई। साथ ही तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति तथ्यात्मक मोका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

विप्रार्थी सं. 14 व 15 की तरफ से वकील श्री जोगराज पोटलिया तथा पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी सं. 14 व 15 के अधिवक्ता ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस के कथनों में उल्लेखित किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य सारहीन एवं मनगढ़त है, कि पूर्व में कटाण रास्ता विप्रार्थी 14 व 15)अपीलांट) के खेत खसरा संख्या 601/2 में से बकायदा नजरी नक्शे में एकदम मौड़ देते हुए प्रदर्शित किया गया है, जबकि पीछे से आने वाले उक्त रास्ते की भूमि मुख्य सड़क मार्ग खसरा संख्या 703/598 के भीतर ही सड़क मार्ग से जुड़ सकती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिणधरी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

विप्रार्थीगण की बहस के सन्दर्भ में प्रार्थी के पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन [illegible] के पूर्व में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **सड़ा धनजी** पटवार मण्डल **सड़ा** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, प्राप्त मौका रिपोर्ट के स्पष्ट है कि प्रस्तावित सड़क मार्ग खसरा संख्या 598/1 (सिणधरी–भेडाणा) को जोड़ने हेतु प्रस्तावित कदीमी चिन्हित रास्ते को खसरा सं. 703/598 में से खसरा संख्या 597/4 की मेड़ के सहारे मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा हुआ है। कि उक्त चिन्हित रास्ते को खसरा संख्या 703/598 में से सीधा सिणधरी–भैडाणा डामर सड़क से जोड़ा जा सकता है परन्तु ऐसा करने पर खसरा संख्या 703/598 के दो टूकड़े हो जायेगें जिके कारण छोटा टुकड़ा जुताई योग्य नहीं रहेगा। जिसके कारण खसरा संख्या 601/2 की पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना संभव नहीं है। कि खसरा संख्या 601/2 की भूमि सड़क सीमा में नहीं आती है। वर्तमान में प्रस्तावित कदीमी रास्ते पर मौके पर डामरस ड़क बनी हुई है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता मौके व रेकर्ड अनुसार सही है। जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलायमान बारहमासी रास्ता आमजन की भौतिक सुखाचार हेतु उपयोग में आने पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2022 सही होने से यथावत रखे जाने के आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.12.2022 में पारित तथ्यों पर पाया गया कि उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई में विप्रार्थी सं. 14 व 15 ने अपनी ओर से प्रस्तुत दलील पर प्रस्तावित कदीमी रास्ता जो कि मौके पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आने से उसे यथावत रखे जाने के तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक पत्रांक 1678 दिनांक 29.07.2025 होती है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मौके पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित कदीमी रास्ता मौके पर चलायमान अथवा मौके पर अवस्थित है तथा डामर सड़क निर्मित हो चुकी है। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत इबारत के अनुसार प्रस्तावित चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गे.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने हेतु पर बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोंट के अनुसार मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ते का उपयोग आम जन के भौतिक सुखाचार के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मौखिक अभिकथनों तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 11.01.2022 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित [illegible] नजरी नक्शा का भू–भाग जो मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता [illegible] कि आस–पास [illegible] वासियों के लिए आवागमन की सुगमता को परिदृशित किये जाने [illegible] को दृष्टिगत रखते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज जिसके कि मौके पर डामर सड़क निर्मित है को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखिक अभिकथनों तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 11.01.2022 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सार्थकता एवं उसकी भौतिकता की पुर्ति करते हुए जिसके मौके पर डामर सड़क से निर्मित उक्त गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज प्रविष्टि को राजस्व रेकर्ड यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner